# विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक सेवाएं क्षेत्रों के अंतर्गत विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए संघ सरकार के 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 62 सिविल अनुदानों के अंतर्गत तथा राजस्व, रेलवे, रक्षा, दूरसंचार, इलैक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और डाक मंत्रालयों/विभागों को छोडकर अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वायत्त वित्तीय/निकायों/निगमों के वित्तीय संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं।

इन 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय 2016-17 में ₹7,38,280 करोड़ से 18.01 प्रतिशत बढकर 2017-18 में ₹8,71,297 करोड़ हो गया। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कोडल प्रावधानों तथा लागू नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन, परियोजना प्रबंधन में कमियों, खराब आंतरिक नियंत्रणों, वेतन और कार्मिक हकदारियों के निर्गम में अनियमितताएं तथा खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण देय राशियों की गैर-वसूली अथवा गैर कर राजस्वों की हानि के साथ-साथ परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय के मामलों को उजागर किया जाता रहा है। लेखापरीक्षा ने मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इसी प्रकार की अनियमितताएं पायी गई हैं जो इन तैयार किए गए पैराग्राफों पर आंतरिक नियंत्रणों तथा बजट प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली को आगे और मजबूत करने की आवश्यकता के साथ-साथ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर तत्कालिक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सूचक था। कुछ मामलों में, संबधित मंत्रालय ने उत्तर दिया है जिसे उपयुक्त खंडन के साथ उचित प्रकार से शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/विभागों तथा विधायिका रहित पाचँ संघ शासित क्षेत्रों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/निगमों को समाविष्ट करते हुए ऐसी अनियमिताओं के ₹1361.54 करोड़ के 40 उदाहरणात्मक मामलें[1] अंतर्विष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ मुख्य मामलों के श्रेणीवार सार निम्नलिखित है-

[1] मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणियों/वसूलियों के आठ मामले पैरा 1.13 के अधीन शामिल हैं।

## I. गैर कर राजस्व की हानि

### विदेश मंत्रालय

भारतीय उच्चायोग (एचसीआई) द्वारा विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण भारतीय नागरिकता के त्याग शुल्कों और पासपोर्ट के दुरूपयोग पर जुर्माना के परिणामस्वरूप ₹4.44 करोड़ के राजस्व का कम संग्रह हुआ।

***(पैराग्राफ सं. 8.2)***

## II. वित्तीय प्रबंधन में कमियां

### गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय "वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु पुलिस स्टेशनों आउटपोस्टों के निर्माण" की योजना के अंतर्गत राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता की निधियों को प्रभावी रूप से निगरानी करने में विफल रहा जिसका परिणाम योजना के समापन के तीन वर्षों के पश्चात् भी आठ राज्यों के पास व्यर्थ पड़ी कुल ₹52.18 करोड़ की बचतों (उस पर ब्याज सहित) में हुआ जबकि मध्य प्रदेश में, राज्य ने ₹3.79 करोड़ की बचतों का दो अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण में उपयोग किया था जो संस्वीकृति के अभाव में, अनियमित था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, गृह मंत्रालय ने ₹22.69 करोड़ की वसूली की है जबकि ₹33.28 करोड़ अभी भी वसूल किए जाने है।

***(पैराग्राफ सं. 10.1)***

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने इसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ठीक से प्रबंधन नहीं किया। इसके फलस्वरूप सात चयनित परियोजनाओं में ₹66.05 करोड़ के ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक हुई।

***(पैराग्राफ सं. 14.1)***

### संघ शासित क्षेत्र - लक्षद्वीप प्रशासन

बंदरगाह, नौपरिवहन एवं विमानन निदेशालय, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (यूटीएल) ने प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹29.18 करोड़ की राशि को सरकारी खाते में प्रेषित किए बिना इसको अपने एसबी खाते में रखा था जिससे इष्टतम निराशाजनक नकद प्रबंधन हुआ।

***(पैराग्राफ सं. 15.11)***

## III. योजना दिशानिर्देशों/अधिनियमों/नियमों तथा विनिययमों की कमी/गैर अनुपालन

लेखापरीक्षा ने तीन मामले पाये जहाँ दिशानिर्देशों अथवा नियमों तथा विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम तीन मंत्रालयों से संबंधित ₹5.34 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई**

जल कृषि हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त भूमि का वर्णन करने हेतु तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया था। जल कृषि फार्मों के निर्माण, प्रचालन, निरीक्षण तथा निगरानी के लिए पर्याप्त विनियम तैयार नहीं किए गए थे। जल कृषि में उपयोग किए गए इनपुट हेतु मानकों, व्यर्थ जल नमूनों की जांच करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तथा डीएलसी/एसएलसी बैठकों की आवधिकता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्यावरण संरक्षण निधि सृजित नहीं की गई थी तथा शिकायत निवारण तंत्र अपर्याप्त था।

***(पैराग्राफ सं. 2.1)***

**मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्रालय**

शिक्षण संस्थानो ने बाहरी ठेका (आउटसोर्स) सेवाओं (गृह व्यवस्था एवं सुरक्षा) पर कुल ₹5.34 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया, जबकि इन सेवाओं को ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

***(पैराग्राफ सं. 11.2)***

## IV. परियोजना प्रबंधन में कमी

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

सीएजेडआरआई (काजरी) द्वारा अपनी स्थापना के बाद से विकसित 21 वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों में से 13 प्रौद्योगिकियों को मार्च 2019 तक वाणिज्यीकरण किया जाना बाकी था तथा आठ प्रौद्योगिकियाँ, जबकि वाणिज्यीकृत थी, फिर भी अंतिम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकी थी। 14 बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समर्थित प्रौद्योगिकियों में से केवल छः प्रौद्योगिकियों को ही मार्च 2019 तक काजरी द्वारा पेटेंट प्राप्त किया जा सका था। संस्थान, 2005 से नई खाद्यान्न फसल की किस्म जारी करने में सफल नहीं रहा था। सभी अनुसंधान परियोजनाओं के उद्देश्य का मूल्यांकन करने हेतु,

मूल्यांकन समिति गठित नहीं की गई थी। 35 नमूना जांच किए गए मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि काजरी अनुसंधान परियोजना के चयन हेतु प्राथमिक रूप से वैज्ञानिकों पर निर्भर था तथा अनुसंधान विषय चयन में हितधारकों तथा किसानों की भागीदारी दर्शाने हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। वैज्ञानिक स्टाफ में 35 प्रतिशत औसतन की कमी थी। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में शोधपत्रों का औसतन प्रकाशन 2012-18 के दौरान केवल 68 प्रति वर्ष था। वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित कुल 405 शोधपत्रों में से केवल 149 शोधपत्र राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा छः तथा अधिक की रेटिंग वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था। शोधपत्र के उद्धरण सूचकांक ने प्रकट किया कि 405 में से 252 शोधपत्रों का कभी उद्धरण नहीं दिया गया था। 2015 तक काजरी इससे अवगत नहीं था कि संस्थान के पास 16.43 एकड़ की भूमि का कम कब्जा था। *कृषि विज्ञान केन्द्रों* द्वारा सीमावर्ती प्रदर्शनों**,** ऑन-फार्म ट्रायल्स तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धियों के अंतर्गत ब्लॉकों के समावेशन में कमियां पाई गई थी।

***(पैराग्राफ सं. 2.2)***

**संस्कृति मंत्रालय**

**भारतीय संग्रहालय, कोलकाता**

भारतीय संग्रहालय, कोलकता ने नामांकन आधार पर आधुनिकीकरण कार्य सौंपा तथा किसी संरक्षण योजना अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तथा उपयुक्त योजना के बिना कार्य निष्पादन किया। आधुनिक भण्डारण प्रणाली, अग्निशमन, अग्नि संसूचन एवं रोकथाम से संबंधित मुख्य निर्माणकार्यों को एचवीएसी ने प्रारम्भ नहीं किया था, जबकि संस्वीकृत थे। उसने वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया था तथा प्रारम्भिक चरणों पर कार्य की गुणवत्ता की निगरानी में भी विफल था। ₹83.66 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत निर्माण कार्यों को ₹105.70 करोड़ में निष्पादित किया गया था, जिसमें ₹25.76 करोड़ की लागत के उन निर्माण कार्यों जिन्हें कभी सौंपा ही नहीं गया था, सम्मिलित थे। नवीनीकरण के दौरान उचित संरक्षण प्रक्रिया भी नही अपनाई गई जिसके कारण अमूल्य कलाकृतियों को नुकसान पहुंचा।

***(पैराग्राफ सं. 3.1)***

**अंतरिक्ष विभाग**

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलुरू तथा इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी, हैदराबाद ने दर्पण विकास हेतु प्रौद्योगिकी को सिद्ध या मान्य सुनिश्चित किये बिना सिलिकन कार्बाइड दर्पण विकास सुविधा को

स्थापित किया। निर्मित सुविधा की स्थापना एवं रखरखाव पर ₹47.12 करोड़ का व्यय होने के बावजूद भी वह अपने 10 वर्षों की संपूर्ण परिचालन काल के दौरान अपेक्षित गुणवत्ता के दर्पण का उत्पादन नहीं कर पाईं।

***(पैराग्राफ सं. 5.2)***

अंतरिक्ष विभाग के पांच केंद्रों में निर्माण कार्यों का प्रबंधन अधूरा था जिसके कारण 109 से 1,142 दिनों का समय लंघन तथा ₹37.62 करोड़ का लागत लंघन हुआ। इसके अलावा, लागत में वृद्धि के भुगतान में अनियमितता, ठेकेदारों द्वारा काम में की गई देरी के लिए कम मुआवजे की उगाही, वैधानिक वसूलियों की कम उगाही संग्रहण तथा अतिरिक्त भुगतान इत्यादि के मामले थे, जिसका वित्तीय निहितार्थ ₹12.08 करोड़ था।

***(पैराग्राफ सं. 5.5)***

**विदेश मंत्रालय**

वस्त्र एवं हस्तशिल्प के सार्क संग्रहालय को 10 वर्षों के बीत जाने तथा ₹18.47 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अभी भी चालू किया जाना है (दिसम्बर 2019)।

***(पैराग्राफ सं. 8.1)***

**संघ शासित क्षेत्र - अंडमान व निकोबार द्वीप प्रशासन**

अंडमान लोक निर्माण कार्य विभाग ने निर्माण संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपेक्षित सभी सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जिसे आखिरकार मामले पर फ्लिप फ्लोप के पश्चात् रोक दिया गया था।

इससे समुद्री दीवार के निर्माण में देरी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में किनारे की सुरक्षा की लागत को बढ़ाया तथा इसका परिणाम ₹1.18 करोड़ के व्यर्थ व्यय में भी हुआ क्योंकि अपूर्ण निर्माण बह गए। कार्य को ₹30.36 करोड़ की बढ़ी हुई लागत के साथ फिर से संस्वीकृत किया गया है। प्रभावित क्षेत्र के निवास सुनामी के 15 वर्षों के पश्चात् भी असुरक्षित बने रहे।

***(पैराग्राफ सं. 15.2)***

**संघ शासित प्रदेश - चंडीगढ़**

नगर निगम चण्डीगढ़ (एमसीसी) ने बागवानी के लिए पेय जल, जिसका उपयोग अन्यथा किया जा रहा था, के स्थान पर उपचारित जल आपूर्ति के लिए इसके सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) से बहाव का उपचार करने हेतु एक मौजूदा 10 मिलियम गैलन प्रति दिन (एमजीडी) के तृतीयक उपचार संयंत्र के अतिरिक्त 10 एमजीडी की क्षमता वाले एक तृतीयक उपचार संयंत्र तथा संबंधित सुविधाओं के डिजाईन एवं निर्माण के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

डिजाईन में गलत तरीके से सीवेज के पानी की पर्याप्त उपलब्धता की कल्पना की गई, एक भूमिगत जलाशय को पम्पों, जिन्हें दोनों सयंत्रों में लगाया गया था, की अपेक्षित बहाव क्षमता से कम वाले पुराने नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया गया था तथा पुराने एसटीपी का तकनीकी रूप से उन्नत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमसीसी ने टीटीपी को आउटपुट में अपेक्षित बीओडी स्तर अर्थात् 5 एमजी/ली. से कम को सुनिश्चित नहीं किया था जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं में उपचारित जल को ग्रहण न करने का कारण बना।

इसके अतिरिक्त, एमसीसी योजनागत परियोजना के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत के 43 प्रतिशत की वसूली नहीं कर सका। उपचारित जल की एमसीसी बागवानी स्कंध द्वारा रख-रखाव किए जा रहे हरित स्थानों को नि:शुल्क आपूर्ति की गई थी। एमसीसी ने तृतीयक जल कनेक्शनों के बिल भी नहीं भेजे थे। लेखापरीक्षा में पाया कि परियोजना के समापन के पश्चात 6-7 वर्षों के बाद भी प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके थे तथा लेखापरीक्षा स्वयं परियोजना की व्यवर्हायता से आश्वस्त नहीं था।

***(पैराग्राफ सं. 15.4)***

चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईटीसीओ) ने चंडीगढ़ और गेस्ट हाउस, नई दिल्ली में संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सचिवालय कैंटीन को बिना किसी समझौते या परिचालन व्यवस्था के संचालित किया और क्रमशः ₹8.27 करोड़ और ₹1.52 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा|

***(पैराग्राफ सं. 15.7)***

## V. उपकरण/इमारतों/अवसंरचना का व्यर्थ रहना

गतिविधियों की अप्रयुक्त योजना तथा अनिवार्य समकालीकरण की कमी का परिणाम निष्फल व्यय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित के मामलों में ₹84.25 करोड़ की कीमत की परिसम्पत्तियों के व्यर्थ रहने/उप-ईष्टतम उपयोग में हुआ जैसा नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

**परमाणु ऊर्जा विभाग**

वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर, कोलकाता (वी.ई.सी.सी.) ने प्रस्तावित मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी में यंत्रों की स्थापना के लिए समय पर साईट तैयार नहीं की जिसके कारण ₹82.12 करोड़ के यंत्र आठ वर्ष से अधिक समय तक अनुपयोगी रूप से पड़े रहे तथा परियोजना भी ₹219.50 करोड़ के खर्च तथा स्वीकृति के 15 साल बाद तक भी अधूरी रही।

***(पैराग्राफ सं. 4.1)***

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के लिए खरीद एवं भंडार निदेशालय, मुंबई द्वारा ₹2.13 करोड खर्च करके एक आयन ट्रैप सिस्टम खरीदा गया था, जिसे खराब पुर्जों के चलते सात साल से ज्यादा होने के बाद भी स्थापित नहीं किया जा सका। इस क्रय की सुरक्षा के लिए उक्त संगठनों ने आवश्यक वित्तीय सुरक्षा उपाय हासिल नहीं किए।

***(पैराग्राफ सं. 4.2)***

## VI. आंतरिक नियंत्रण में कमियां

प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों की कमी बकायों की कम वसूली, परिहार्य भुगतान तथा दोहरे भुगतान के साथ-साथ **सात मामलों में कुल ₹18.17 करोड़** के प्रापण पर संदेहपूर्ण व्यय का कारण बनी जैसा नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

**परमाणु ऊर्जा विभाग**

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई ने इन्वेंट्री स्तरों की वास्तविक प्रवृत्ति के आधार पर अपने मेडिकल स्टॉक के लिए बीमित राशि का मध्यावधि संशोधन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कम कवरेज हुई तथा अग्नि हादसे के बाद बीमा दावे से ₹1.64 करोड़ की हानि हुई।

***(पैराग्राफ सं. 4.3)***

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली ने 2013-18 के दौरान आवासीय क्वार्टरों में विद्युत के मीटरों की स्थापना न होने के कारण एक गैर-घरेलू उच्च तनाव कनेक्शन से घरेलू उपयोग हेतु विद्युत का उपयोग किया तथा उर्जा प्रभार के लिए ₹3.66 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया।

***(पैराग्राफ सं. 7.1)***

**विदेश मंत्रालय**

नमूना जांच की गई पच्चीस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में से इलेक्ट्रानिक रूप से अपेक्षित पता डाटा प्रदान करने में असमर्थता के कारण केवल तेरह कार्यालय ही द्रुत डाक सेवाओं के थोक ग्राहकों हेतु उपलब्ध छूट के आधे का ही लाभ उठा सके। एक अन्य आरपीओ ने छूट का लाभ नहीं उठाया क्योंकि उसने अन्य कार्यालयों की तरह डाक अधिकारी के साथ अनुबंध नहीं किया था। इस प्रकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा छूट का लाभ न उठाना ₹4.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का कारण बना।

***(पैराग्राफ सं. 8.3)***

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर ₹1.86 करोड़ आहरित अग्रिम का निपटान नहीं हुआ।

***(पैराग्राफ सं. 11.3)***

**विधि कार्य विभाग**

सर्वोच्च न्यायालय बार संघ को जनवरी 2000 में स्वर्ण जयंती सभागार के निर्माण के उद्देश्य हेतु संस्वीकृत ₹ एक करोड़ के अनुदान को, अनुदान नियंत्रित करने वाले जीएफआर के उल्लंघन में, 19 वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी, न तो उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और न ही ब्याज सहित इसे वापिस किया गया था।

***(पैराग्राफ सं. 12.1)***

**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड**

भूमि मालिकों को भूमि के पट्टे के प्रभार में से टीडीएस नहीं लिया गया था। यह भूमि मालिकों की ओर से कंपनी द्वारा वहन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.25 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

***(पैराग्राफ सं. 13.2)***

**यूटी चंडीगढ़**

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चण्डीगढ़ ने सेवा कर के कारण सूचना प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन समिति चण्डीगढ़ को ₹64.83 लाख का अनियमित भुगतान किया जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् वसूला गया था।

***(पैराग्राफ सं. 15.6)***

## VII. वेतन तथा स्टाफ पात्रताओं में अनियमितताएं

कार्मिकों के वेतन एवं पात्रताओं के भुगतान से संबंधित नियमों तथा दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन का परिणाम चार मंत्रालयों में छः मामलों में कुल ₹500 करोड़ के अनियमित भुगतान/प्रतिपूर्ति में हुआ जैसा नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

**अंतरिक्ष विभाग**

अंतरिक्ष विभाग ने वित्त मंत्रालय की उसके वैज्ञानिकों/अभियंताओं को दिए गए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को वापिस लेने की सलाह पर पांच साल से ज्यादा समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण से विभाग के अंतर्गत आने वाले 15 परीक्षण किए गए केन्द्रों तथा स्वायत्त संस्थाओं में दिसंबर 2013 से मार्च 2019 के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के रूप में ₹251.32 करोड़ का भुगतान किया गया।

***(पैराग्राफ सं. 5.1)***

अंतरिक्ष विभाग ने सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रशासनिक कैडर में 955 पदों का सृजन किया और निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति दे कर इन पदों को भरा गया। उच्च पदों में कर्मचारियों के वेतन पर ₹235.05 करोड़ का व्यय हुआ जिसका एक हिस्से का भुगतान विभाग की जमा परियोजनाओं में से किया गया जो कि सरकारी नियम एवं प्रक्रिया के विरूद्ध था।

***(पैराग्राफ सं. 5.3)***

अंतरिक्ष विभाग ने अपने समूह 'ए' अधिकारियों की निर्धारित स्तर से कम स्तर पर पदोन्नति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि को नियत करने हेतु अनुमोदन नहीं लिया जिससे 13 जाँच परीक्षित मामलों में उच्च स्तर में समय पूर्व पदोन्नति तथा ₹1.29 करोडं की सीमा तक वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था।

***(पैराग्राफ सं. 5.4)***

**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने पांच स्वायत्त निकायों को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने वैज्ञानिकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने की अनुमति दी और परिणामस्वरूप 2002-18 की अवधि के दौरान ₹2.63 करोड़ का व्यय हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मामले को पूर्वव्यापी अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसने मंत्रालय को वित्तीय लाभ वापस लेने की सलाह दी थी।

***(पैराग्राफ सं. 6.1)***

**स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय**

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए जिपमेर के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय से आदेशों को प्राप्त किए बिना अदा किए गए तदर्थ बोनस के परिणामस्वरूप ₹4.56 करोड़ के तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान हुआ।

***(पैराग्राफ सं. 9.1)***

**जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर द्वारा मौजूदा नियमों का उल्लंघन करके अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, गैर-अभ्यास भत्ता, परिवहन भत्ता और परियोजना भत्ता के भुगतान पर ₹5.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

***(पैराग्राफ सं. 14.2)***

## VIII. स्वायत्त निकायों/विभागों/निगमों द्वारा परिहार्य भुगतान

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने मैसर्स ईडीसीआईएल को ₹4.32 करोड़ की राशि का अग्रिम प्रदान किया तथा ₹3.98 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

***(पैराग्राफ सं. 11.4)***